प्रदेश की 'सी' एवं 'डी' वर्ग के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगणों की रिक्त भूमि के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रदेश के समस्त सात संभागों की ''सी'' एवं ''डी'' वर्ग के मंडी सचिवों एवं मंडी के तकनीकी अमले की बैठक प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में निम्नानुसार दिनांकों को सम्पन्न हुईः-

दिनांक	''सी'' एवं ''डी'' वर्ग के संभाग के नाम
24.08.2021	इंदौर संभाग
26.08.2021	उज्जैन संभाग
31.08.2021	जबलपुर संभाग
02.09.2021	ग्वालियर संभाग
06.09.2021	सागर संभाग
08.09.2021	भोपाल संभाग
09.09.2021	रीवा संभाग

प्रबंध संचालक द्वारा बैठक में उपस्थित सचिवों एवं तकनीकी अमले को संबोधित करते हुए निर्देशित किया गया प्रदेश की कृषि उपज मंडी प्रांगण महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं और उनकी भूमि भी बहुउद्देशीय कमर्शियल स्वरूप की है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि व्यय न्यूनतम हो तथा अधिकतम लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ कृषकों के लिए लाभकारी हो। ऐसी अवसंरचना विकसित करने से मंडियों की व्यवहर्यता वृद्धि हो जो निष्क्रीय हैं, वे जीवित होकर कृषक तथा जन साधारण के लिए उपयोगी हो सकें। डियों में आवक एवं आय मं वृद्धि हेतु हर तरह के प्रयास किए जाएं जहां कमी हो रही है वहां इसके कारण ज्ञात कर उन कमियों को दूर किया जाए। मण्डी प्रांगण में किसानों को अधिकतम सुविधाएं दी जाए।

प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में कृषि जिन्सों की आवक, नीलामी, अस्थाई भण्डारण, वेयर हाउस, शापकम गोदाम, सेण्ड्रीशॉप, अन्य विपणन गतिविधियों के साथ मंडी प्रांगण में प्रशासनिक व्यवस्था हेतु कार्यालय भवन, तौलकांटा, चेक पोस्ट, प्रसाधन/सुविधा घर आदि की व्यवस्थाओं के साथ मंडियों में शेड, गोदाम, शॉपकम गोदाम, प्लेटफार्म, कृषि विश्राम गृह, कैंटीन, और बैंक एटीएम आदि भी सुविधाएं है, जिससे कि कृषि विपणन गतिविधियां गति पा सके। इन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने के बाद भी अनेक मंडियों में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है।

उपरोक्त सुविधाओं के होते हुए भी ''सी'' एवं ''डी'' क्लास की कृषि उपज मंडी समितियाँ मौसमी स्वरूप की होने से फसलों के बारहमासी विपणन हेतु पर्याप्त उपयोग में नहीं आ पाती हैं इन सुविधाओं के बावजूद भी प्रदेश की 04 मंडियाँ तथा 126 उपमंडियां अक्रियाशील होकर उनमें उपलब्ध भूमि एवं संरचना अनुपयोगी होती जा रही है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की "सी" एवं "डी" क्लास की कृषि उपज मंडी प्रांगणों में उपलब्ध रिक्त भूमि की जानकारी बाबत् कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित कर रिक्त भूमि को ले-आउट मे चिहिन्त करने, व लैंड बैंक बनाकर ऐसे उपाय करने पर विचार किया जावें, जिससे वहाँ कृषि आधारित व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही की जाकर मंडियों में कृषि विपणन गतिविधियां, जिन्सों की आवक तथा आय बढ़ाई जा सके।

बैठक में उपस्थित सचिवों को उपरोक्त विषय एवं उद्देश्य के संबंध में जानकारी देते हुए जिन मंडियों एवं उपमंडियों में बहुत सी भूमि रिक्त है तथा किसी भी उपयोग में नहीं आ रही है, भविष्य की संभावनाओं का आंकलन करते हुए मण्डी गतिविधियों के लिए भूमि आरक्षित करने के पश्चात भी भूमि रिक्त है, ऐसी रिक्त भूमि पर कृषि आधारित उद्योग एवं व्यापार लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था को भूमि का आवंटन किए जाने पर कृषि आधारित उद्योग एवं व्यापार स्थापित होने से आवंटित भूमि के विरूद्ध राशि प्राप्त हो सकेगी। साथ ही वार्षिक किराया भी प्राप्त हो सकेगा तथा प्रसंस्करण उद्योग खुलने की स्थिति में किसानों की अपनी उपज अपने क्षेत्र में विक्रय करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी तथा मण्डी शुल्क प्राप्त होने से मण्डी की आय बढ़ेगी।

कृषि उपज मंडियों के रिक्त प्रांगणों की भूमि पर उपलब्ध संरचनायें एवं स्थान को कृषि विपणन तथा व्यवसायिक गतिविधियों के लिये जैसे कोल्ड स्टोरेज, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, राईपनिंग चैम्बर, पैक-हाउस, प्रक्रियण, अन्य वैल्यू एडिशन आदि सुविधाओं व कृषि उत्पादन के आदानों के क्रय-विक्रय व विपणन वृद्धि हेतु उपलब्ध कराये जाने से मंडियों की दूरगामी व्यवहार्यता में वृद्धि होने की संभावना है। कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ/उपलब्ध जन संसाधन को भी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे, मंडियों को आर्थिक एवं वित्तीय सुदृढ़ता भी प्राप्त हो सकेगी, जिससे प्रांगण में रोजगार के अवसर प्राप्त होने से मंडी प्रांगण बारहमासी क्रियाशील हो सकेंगे। कृषकों को भी उनके क्षेत्र के निकटतम स्थानों पर कृषि विपणन तथा पोस्ट हारवेस्ट सुविधायें प्राप्त होने से न्यूनतम लागत पर अधिक लाभकारी सेवाऐं व किसानों की आय वृद्धि प्राप्त हो सकेंगी।

सभी आंचलिक कार्यालयों को तीन प्रपत्र जो कि पुनः संलग्न है भेजे गये हैं। उन प्रपत्रों के आधार पर जिन सचिवों ने जानकारी तथा रिक्त भूमि का हस्ताक्षरित नक्शा जिसमें अधोसंरचना निर्मित की जाना है वह निर्माण शाखा तथा प्रांगण शाखा के पास जमा कर दें। जिन्होंने जानकारी नहीं तैयार की है वह एक सप्ताह में प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी संकलित कर ले-आउट सहित जमा कराना सुनिश्चित करें तथा साफ्ट प्रति एक्सेल सीट में बनाकर navinmandi.mpsamb@gmail.com मेल करें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Email

क्रमांक/मंडी बोर्ड/प्रांगण/नवीन मंडी/2021/481

भोपाल, दिनांक 27.10.2021

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक (प्रांगण/नियमन), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ...समस्त....
04. अधीक्षण यंत्री (श्री पी.सी.तोमर) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
05. कार्यपालन (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
06. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ....समस्त....
07. उप संचालक, (नवीन मंडी/प्रांगण/नियमन),म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,भोपाल।
08. सहायक यंत्री/उपयंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ....समस्त....
09. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ....समस्त.........जिला ....
(समस्त संभाग की मंडियों) की ओर पालनार्थ।
10. प्रभारी ई. एण्ड वाय. पी.एम.यू, मंडी बोर्ड, भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोप

क./प्रांगण/नवीन मंडी/स-द वर्ग/407 26/08/2021

प्रति,

1 संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.. (समस्त)

2 कार्यपालन यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय तकनीकी संभाग... (समस्त)

विषयः– आपके अंचल की "स" एवं "द" वर्ग की मण्डी समितियो के प्रांगण तथा उपमण्डी प्रांगण की जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध मे।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक/380 दिनांक 17.8.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि "स" एवं "द" वर्ग की मण्डी समितियो के मण्डी प्रांगण एवं उपमण्डी प्रांगणो की जानकारी हेतु संदर्भित पत्र से निर्धारित दिनांक को आयोजित बैठक मे संलग्न प्रपत्रो मे जानकारी तैयार करवाकर तथा प्रांगण के ले–आउट प्लान मे चिन्हाकन करवाकर साथ मे लेकर बैठक मे उपस्थित होने हेतु अधीनस्थ मंडियों के सचिवो एवं संबंधित उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसा–तीन प्रपत्र

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./प्रांगण/नवीन मंडी/स-द वर्ग/408 भोपाल,दिनांक 26/08/2021

1/ निज सहायक (प्रबंध संचालक महोदया) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2/ अपर संचालक (नियमन) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3/ अधीक्षण यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4/ ई एण्ड वाय म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

सामन्य जानकारी का प्रपत्र

कृषि उपज मंडी समिति...जिला...................................... वर्ग–

क0	मंडी का नाम	जिला	प्रांगण का नाम	मुख्य मार्ग से दूरी	पहुँच मार्ग की स्थिति	उपलब्ध सुविधायें संख्या/क्षमता एवं माप सहित	अधिसूचित है अथवा नहीं	अतिकमण की स्थिति कच्चा/पक्का संख्या एवं माप सहित
1								

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
..................जिला....................................

अन्य जानकारी का प्रपत्र

कृषि उपज मंडी समिति...ि ला....................................   वर्ग–

क0	मंडी का नाम	जिला	प्रांगण का नाम	कियाशील/अकियाशील	प्रांगण मे उपार्जन केन्द्र है अथवा नही	यदि प्रांगण मे उपार्जन केन्द्र नही है तो प्रांगण से निकटतम उपार्जन केन्द्र की दूरी	रिमार्क

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति........................

तकनीकी जानकारी का प्रपत्र

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऑचलिक कार्यालय .... वर्ग–

कृषि उपज मंडी समिति.......................................जिला...................................

क0	प्रांगण का नाम	कुल उपलब्ध उपयोग योग्य रिक्त भूमि	उपयोग योग्य रिक्त भूमि की पृथक पृथक भूखण्डवार जानकारी	भूखण्ड की स्थिति	रिमार्क

नोट–

1– पृथक–पृथक भूखण्डवार जानकारी में वर्तमान में रिक्त भूखण्डों की जानकारी प्रत्येक भूखण्ड के लंबाई चौडाई कुल क्षेत्रफल सहित दी जाये।

2– भूखण्ड की स्थिति के अंर्तगत प्रत्येक भूखण्ड की स्थिति जैसे भूखण्ड आंतरिक मार्ग की ओर, पीछे की ओर बाउन्ड्रीवाल से लगा हुआ, प्रवेश द्वार के पास आदि स्थितियॉ लिखी जायें।

3– भूखण्डों का मेजरमेंट वर्गमीटर में दिया जाये।

4– उपरोक्तानुसार स्थिति स्वीकृत ले–आउट में भी स्पष्ट चिन्हित की जाये।

5– जिन प्रांगणों में आंतरिक मार्ग, पार्किंग एवं सार्वजनिक शौचालय -मूत्रालय जैसी सेवा सुविधायें निर्मित नहीं है किन्तु स्वीकृत लेआउट प्लान में प्रस्तावित है ऐसे स्थल को छोडकर रिक्त भूखण्डों की जानकारी दी जाये। किन्तु स्वीकृत लेआउट प्लान में जो अन्य संरचनायें प्रस्तावित हैं उन्हें रिक्त भूखण्ड माना जाकर जानकारी दी जाये।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

सहायक यंत्री
आंचलिक कार्यालय
तकनीकी संभाग

उपयंत्री
आंचलिक कार्यालय
तकनीकी संभाग